# अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 37)

[4 सितम्बर, 2000]

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

**अधिनियम**

अन्तिम अधिनियम में, जिसमें 15 अप्रैल, 1994 को मराकेश में हुई बहुपक्षीय व्यापार बातचीत के उरुग्वे राऊंड के परिणाम सन्निविष्ट हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए उपबंध है;

और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलु विषयक करार उक्त अन्तिम अधिनियम का भाग है;

और भारत सरकार को उक्त अन्तिम अधिनियम का अनुसमर्थन करते हुए अन्य बातों के साथ एकीकृत परिपथ के अभिन्यास डिजाइन (स्थलाकृति) से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं विषयक करार के भाग 2 की धारा 6 को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना चाहिए;

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

## प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से अपील बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) ''वाणिज्यिक समुपयोजन'' से अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के संबंध में किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऐसे अर्धचालक एकीकृत परिपथ का विक्रय, पट्टा, विक्रय के लिए प्रस्ताव या प्रदर्शन या अन्यथा वितरण करना अभिप्रेत है;

(च) ''अभिसमय देश'' से धारा 93 के अधीन इस रूप में अधिसूचित देश अभिप्रेत है;

(छ) ''न्यायिक सदस्य'' से अपील बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन इस रूप में नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष या ऐसा उपाध्यक्ष है जिसके पास धारा 34 की उपधारा (3) में [illegible] अर्हता हो;

(ज) ''अभिन्यास डिजाइन'' से ट्रांजिस्टर और अन्य परिपथी घटकों का अभिन्यास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे घटकों को जोड़ने वाले लीड वायर आते हैं तथा जिन्हें किसी अर्धचालक एकीकृत परिपथ में किसी भी रूप में अभिव्यक्त किया गया है;

(झ) ''सदस्य'' से अपील बोर्ड का कोई न्यायिक सदस्य या कोई तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है;

(ञ) ''अधिसूचित करना'' से रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित अर्धचालक एकीकृत परिपथ जर्नल में अधिसूचित करना अभिप्रेत है;

(ट) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) ''रजिस्टर'' से धारा 6 में निर्दिष्ट अभिन्यास डिजाइन का रजिस्टर अभिप्रेत

(ड) ''रजिस्ट्रीकृत'' से (उसके व्याकरणिक रूपभेद सहित) इस अधिनियम अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;

(ढ) ''रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन'' से कोई अभिन्यास डिजाइन अभि जो वास्तव में रजिस्टर में हो;

(ण) ''रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी'' से किसी अभिन्यास डिजाइन के संबंध में व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय अभिन्यास डिजाइन के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्टर

(त) ''रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता'' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय धारा अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;

(थ) ''रजिस्ट्रार'' से धारा 3 में निर्दिष्ट अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभि डिजाइन का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(द) ''अर्धचालक एकीकृत परिपथ'' से ऐसा कोई उत्पाद अभिप्रेत है जि ट्रांजिस्टर और अन्य परिपथीय घटक हैं जो किसी अर्धचालक सामग्री या किसी वि सामग्री या अर्धचालक सामग्री के भीतर अपृथक्करणीय रूप से बनाए गए हैं औ इलैक्ट्रानिक परिपथीय कृत्य को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं;

(ध) ''तकनीकी सदस्य'' से अपील बोर्ड का

(न) "पारेषण" से विधि के प्रवर्तन द्वारा किसी मृत व्यक्ति के वैयक्तिक प्रतिनिधित्व पर न्यागमन या अन्तरण के किसी अन्य ढंग द्वारा जो समनुदेशन नहीं है, पारेषण अभिप्रेत है;

(प) "उपाध्यक्ष" से अपील बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(फ) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के किसी कार्यालय के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

## रजिस्टर और रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्रार।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी, जो अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास रजिस्ट्रार के रूप में ज्ञात होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारियों को, ऐसे पदाभिधानों सहित जो वह ठीक समझे, रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, जिन्हें वह समय-समय पर निर्वहन के लिए उन्हें प्राधिकृत करे, नियुक्त कर सकेगी।

रजिस्ट्रार की लंबित मामलों को अंतरित करने की शक्ति।

4. रजिस्ट्रार, धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा और उसमें अभिलिखित कारणों से, उक्त उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष लंबित कोई मामला वापस ले सकेगा और ऐसे मामले पर या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से जिस पर उसे वापस लिया गया था, स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उसे इस प्रकार नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकेगा जो अन्तरण के आदेश में विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए उस मामले पर या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से जिस पर उसे इस प्रकार अन्तरित किया गया था, कार्यवाही कर सकेगा।

रजिस्ट्री।

5. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी जिसका नाम अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री होगा।

(2) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और अभिन्यास डिजाइनों के रजिस्ट्रीकरण को

[illegible]

अभिन्यास डिजाइन का रजिस्टर।

6. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक [illegible] अभिन्यास डिज़ाइन का रजिस्टर होगा, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रधान कार्यालयों में रखा जाएगा जिसमें सभी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन स्वत्वधारी के नाम, पते और विवरण और रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन से संबंधित ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं, प्रविष्ट किए जाएंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाएगा।

(3) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय में रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की प्रति, जैसा केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे, रखी जाएगी।

कतिपय अभिन्यास डिजाइनों के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध।

7. (1) कोई अभिन्यास डिजाइन—

(क) जो मूल नहीं है; या

(ख) जिसका भारत में कहीं या किसी अभिसमय देश में वाणिज्यिक रूप से समुपयोजन किया जाता है; या

(ग) जो अंतर्निहितत: सुभिन्न नहीं है; या

(घ) जो किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन से अंतर्निहितत: सुभिन्नता करने में समर्थ नहीं है,

अभिन्यास डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा:

परन्तु कोई अभिन्यास डिजाइन जिसका वाणिज्यिक समुपयोजन ऐसी तारीख से दो वर्ष से अनधिक के लिए किया गया है जिसको उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो भारत में या किसी अभिसमय देश में किया गया है, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक समुपयोजन नहीं किया गया माना जाएगा।

(2) कोई अभिन्यास डिजाइन तभी मूल समझी जाएगी यदि वह उसके सृजक के बौद्धिक प्रयासों का परिणाम है और अभिन्यास डिजाइन के सृजकों और अर्धचालक एकीकृत परिपथों के विनिर्माताओं को उसके सृजन के समय सामान्य रूप से ज्ञात नहीं है:

परन्तु कोई अभिन्यास डिजाइन जो घटकों के ऐसे संयोजनों और अन्तर्संबंधों से मिलकर बनाए गए हों, जो अभिन्यास डिजाइनों के सृजकों और एकीकृत परिपथों के विनिर्माताओं के बीच सामान्यत: ज्ञात हैं, तभी मूल समझे जाएंगे यदि सब मिलाकर ऐसे संयोजन उसके सृजक के बौद्धिक प्रयासों का परिणाम हैं।

(3) जहां किसी मूल अभिन्यास डिजाइन का सृजन किसी कार्य को करने या नियोजन संविदा के निष्पादन में किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन ऐसे अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण का अधिकार किसी विपरीत संविदात्मक उपबंध के अभाव में ऐसे व्यक्ति का होगा जिसने कार्य किया है या नियोजक का होगा।

## अध्याय 3

## रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और उसकी अवधि

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

8. (1) किसी अभिन्यास डिजाइन का सृजक होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति जो उसका रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है रजिस्ट्रार को अपने अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित रीति में लिखित रूप में आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, उस अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के कार्यालय में फाइल किया जाएगा जिसकी राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आवेदक का भारत में कारबार का प्रधान स्थान स्थित है या संयुक्त आवेदकों के

आवेदक का भारत में कारबार का प्रधान स्थान स्थित है, जिसका नाम भारत में कारबार का स्थान रखने वाले के रूप में आवेदन में प्रथमत: उल्लिखित है:

परन्तु जहां आवेदक या संयुक्त आवेदकों में से कोई भारत में कारबार नहीं करता है वहां आवेदन उस अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के कार्यालय में फाइल किया जाएगा जिसकी राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर वह स्थान स्थित है जो आवेदन में यथा प्रकटित भारत में तामील के लिए उल्लिखित पते में है।

(3) इस अधिनि[illegible] उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा या उसे आत्यंतिकत: अथवा ऐसे संशोधनों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, स्वीकार कर सकेगा।

कृति वापस लेना।

9. जहां अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् किन्तु उसके रजिस्ट्रीकरण के पूर्व, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि अभिन्यास डिजाइन, धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिषिद्ध है, वहां रजिस्ट्रार आवेदक की सुनवाई के पश्चात् यदि वह ऐसी वांछा करता है, स्वीकृति वापस ले सकेगा और इस प्रकार अग्रसर होगा मानो आवेदन को स्वीकृत नहीं किया गया था।

वेदन का विज्ञापन।

10. (1) जहां किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन स्वीकार किया गया है, वहां रजिस्ट्रार, स्वीकृति की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के भीतर विहित रीति में, आवेदन स्वीकृत किए जाने का विज्ञापन कराएगा।

(2) जहां किसी आवेदन के विज्ञापन के पश्चात्—

(क) आवेदन में किसी त्रुटि को शुद्ध किया गया है; या

(ख) आवेदन धारा 12 के अधीन संशोधित करने के लिए अनुज्ञात किया गया है,

वहां रजिस्ट्रार स्वविवेकानुसार, आवेदन का पुनः विज्ञापन करा सकेगा या खण्ड (ख) के अधीन आने वाले किसी मामले में आवेदन का पुनः विज्ञापन कराने की बजाय आवेदन में की गई शुद्धि या संशोधन को विहित रीति से अधिसूचित कर सकेगा।

जिस्ट्रीकरण का विरोध।

11. (1) कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के विज्ञापन या पुनः विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर या कुल मिलाकर एक मास की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जैसी रजिस्ट्रार, विहित रीति में उसे आवेदन करने पर और विहित फीस का संदाय करने पर, अनुज्ञात करे, रजिस्ट्रीकरण के विरोध की लिखित रूप में सूचना विहित रीति में रजिस्ट्रार को दे सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक पर सूचना की प्रति तामील करेगा और आवेदक को विरोध की सूचना की ऐसी प्रति प्राप्त होने के दो मास के भीतर, आवेदक, रजिस्ट्रार को विहित रीति में उन आधारों का प्रतिकथन भेजेगा जिनका वह अपने आवेदन के लिए अवलम्ब लेता है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने आवेदन का परित्याग कर दिया है।

[illegible]

(5) रजिस्ट्रार यदि ऐसी अपेक्षा हो तो पक्षकारों को सुनने और साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात और आक्षेपों के किसी

[redacted]

प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) जहां अभिन्यास डिजाइन [illegible]

की तारीख से बारह मास के भीतर पूर्ण नहीं हो जाता है, वहां रजिस्ट्रार आवेद

सूचना देकर आवेदन को परित्यक्त मान सकेगा जब तक कि वह सूचना में इ

समय के भीतर पूर्ण न कर दिया जाए।

(4) रजिस्ट्रार लेखन गलती या स्पष्ट भूल की शुद्धि के प्रयो

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधित कर सकेगा।

संयुक्त स्वामित्व के अभिन्यास डिजाइन।

14. (1) उपधारा (2) में यथाउपबंधित के सिवाय इस अधिनि

या अधिक व्यक्तियों का, जो अभिन्यास डिजाइन के सृजनकर्ता होने का दा

प्राधिकृत नहीं करेगी।

न को विहित रीति में

स निमित्त विनिर्दिष्ट

जनार्थ, रजिस्टर को या

म की कोई बात ऐसे दो

वा करते हैं, रजिस्ट्रीकरण

(2) जहां अभिन्यास डिजाइन के सृजनकर्ता होने का दावा करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के संबंध ऐसे हैं कि—

(क) उन दोनों या उन सभी ने ऐसे डिजाइन के सृजन में संयुक्त बौद्धिक प्रयास किया है; या

(ख) ऐसे अभिन्यास डिजाइन के सृजन के संबंध में वे दोनों या वे सभी ऐसी रीति में जुड़े हैं कि ऐसे अभिन्यास डिजाइन के सृजन में उनमें से प्रत्येक का बौद्धिक प्रयास पृथक् नहीं किया जा सकता,

वहां ऐसे व्यक्तियों का अभिन्यास डिजाइन के संयुक्त स्वामित्व के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा और उन व्यक्तियों में निहित अभिन्यास डिजाइन के उपयोग के किसी अधिकार के संबंध में यह अधिनियम इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वे अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित हों।

रजिस्ट्रीकरण की अस्तित्वावधि।

15. अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण केवल दस वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसकी संगणना रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख से या भारत में या किसी अन्य देश में कहीं भी प्रथम वाणिज्यिक समुपयोजन की तारीख से, जो भी पहले हो, की जाएगी।

## अध्याय 4

## रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव

अरजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के अतिलंघन के लिए कोई कार्रवाई न होगी।

16. कोई व्यक्ति किसी अरजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के अतिलंघन के निवारण के लिए या उसके लिए नुकसानी वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही संस्थित करने का हकदार नहीं होगा।

रजिस्ट्रीकरण से प्रदत्त अधिकार।

17. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण, यदि वह विधिमान्य हो, अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को अभिन्यास डिजाइन के अनन्य उपयोग का और इस अधिनियम द्वारा उपबंधित रीति में अतिलंघन की बाबत अनुतोष अभिप्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करेगा।

**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार उस अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को इस तथ्य के होते हुए भी कि अभिन्यास डिजाइन किसी वस्तु में सम्मिलित किया गया है या नहीं, उपलब्ध होंगे।

अभिन्यास डिजाइन का अतिलंघन।

18. (1) रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन का उस व्यक्ति द्वारा अतिलंघन किया जाता है जो अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसका रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता न होते हुए भी,—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के पुनरुत्पादन का कोई कार्य, चाहे किसी अर्धचालक एकीकृत परिपथ के समावेशन द्वारा या अन्यथा उसकी समग्रता में या उसके किसी भाग का समावेश करके, करता है, सिवाय उसके किसी भाग के ऐसे पुनरुत्पादन के कार्य के जो धारा 7 की उपधारा (2) के अर्थांतर्गत मूल नहीं हैं;

(ख) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन का या किसी अर्धचालक एकीकृत परिपथ का, जिसमें ऐसा रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन सम्मिलित है या किसी वस्तु का जिसमें ऐसा अर्धचालक एकीकृत परिपथ सम्मिलित है जिसमें कि ऐसा रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अंतर्विष्ट है जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन हकदार नहीं है, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आयात, विक्रय या अन्यथा वितरण का कार्य करता है।

(2) धारा 17 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट पुनरुत्पादन के कार्य का अनुपालन, जहां ऐसा कार्य किसी वैज्ञानिक मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुसंधान या अध्यापन के सीमित प्रयोजनों के लिए किया जाता है, उस खंड के अर्थांतर्गत अतिलंघन का कार्य नहीं होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के वैज्ञानिक मूल्यांकन या विश्लेषण के आधार पर ऐसा अन्य अभिन्यास डिजाइन सृजित करता है जो धारा 7 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत मौलिक है वहां ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अभिन्यास डिजाइन को अर्धचालक एकीकृत परिपथ में सम्मिलित करने का या ऐसे अन्य अभिन्यास डिजाइन की बाबत धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने का अधिकार होगा और ऐसा सम्मिलित किया जाना या किसी कार्य का किया जाना उपधारा (1) के अर्थ में अतिलंघन नहीं माना जाएगा।

(4) जहां कोई अभिन्यास डिजाइन, उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के वैज्ञानिक मूल्यांकन या विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सृजित किया जाता है, वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के स्वत्वधारी द्वारा ऐसे अभिन्यास डिजाइन के इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् ऐसे अभिन्यास डिजाइन का उपयोग उपधारा (1) के अर्थान्तर्गत अतिलंघन माना जाएगा।

(5) उपधारा (1) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति द्वारा उस खंड में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी के संपादन को उक्त खंड के अर्थान्तर्गत अतिलंघन नहीं समझा जाएगा यदि ऐसे कार्य को किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन सम्मिलित करने वाले किसी अर्धचालक एकीकृत परिपथ या ऐसे किसी अर्धचालक एकीकृत परिपथ को सम्मिलित करने वाली किसी वस्तु के संबंध में किया गया है या करने के लिए निदेशित किया जाता है, जहां ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी अर्धचालक एकीकृत परिपथ या वस्तु के, जिसमें कोई रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन सम्मिलित है, बारे में ऐसे [illegible]

(8) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र बौद्धिक उपयोजन द्वारा किसी ऐसे अभिन्यास डिजाइन का सृजन किया जाता है जो किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के समरूप हो, वहां इस प्रकार सृजित अभिन्यास डिजाइन की बाबत ऐसे व्यक्ति का कोई कार्य रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन का अतिलंघन नहीं होगा।

19. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन से संबंधित ... धारा 30 ... रजिस्ट्रीकरण विधिमान्यता के अ...

... व्यक्ति को, जो रजिस्टर में तत्समय अभिन्यास डिजाइन के स्वत्वधारी के रूप में प्रविष्ट है, इस अधिनियम के उपबंधों और रजिस्टर से किसी अन्य व्यक्ति में निहित प्रतीत होने वाले अधिकारों के अधीन, अभिन्यास डिजाइन के समनुदेशन की और ऐसे समनुदेशन के लिए किसी प्रतिफल के लिए प्रभावी रसीदें देने की शक्ति होगी।

रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी की समनुदेशन करने और रसीद देने की शक्ति।

## अध्याय 6

## अभिन्यास डिजाइन का उपयोग और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता

रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता।

**24.** धारा 25 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से भिन्न कोई व्यक्ति उसके रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण।

**25.** (1) जहां यह प्रस्थापना है कि किसी व्यक्ति को अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए वहां रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता संयुक्ततः लिखित रूप में रजिस्ट्रार को विहित रीति में आवेदन करेंगे और ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे,—

(क) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित उपयोक्ता के बीच अभिन्यास डिजाइन के अनुज्ञात उपयोग की बाबत किया गया लिखित करार या उसकी सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रति; और

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या इस निमित्त कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया शपथपत्र जिसमें—

(i) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के बीच विद्यमान या प्रस्थापित संबंध की विशिष्टियां उन विशिष्टियों सहित दी हुई होंगी जिनमें उस अनुज्ञात उपयोग के ऊपर स्वत्वधारी द्वारा नियंत्रण की डिग्री दर्शित करने की विशिष्टियां सम्मिलित हैं जो उनके संबंध प्रदत्त करेंगे और चाहे वह उनके संबंध का एक निर्बंधन हो कि प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता एकमात्र रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता होगा या उस व्यक्ति की बाबत जिसके लिए रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाए, कोई अन्य निर्बंधन होगा;

(ii) अनुज्ञात उपयोग या किसी अन्य विषय के स्थान की बाबत प्रस्थापित शर्तों या निर्बंधनों का, यदि कोई हों, कथन किया जाएगा;

(iii) यह कथन किया जाएगा कि क्या अनुज्ञात उपयोग किसी एक अवधि के लिए होगा या किसी अवधि की सीमा के बिना होगा और यदि किसी अवधि के लिए है तो उसकी अवधि; और

(ग) ऐसे और दस्तावेज या अन्य साक्ष्य जो रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हों या विहित किए जाएं।

(2) जहां उपधारा (1) की अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया है वहां रजिस्ट्रार प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को रजिस्टर करेगा।

(3) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की विहित रीति में, अभिन्यास डिजाइन के अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को, यदि कोई हो, सूचना देगा।

(4) यदि आवेदक ऐसी प्रार्थना करता है तो रजिस्ट्रार, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि इस धारा के अधीन आवेदन के प्रयोजनों के लिए दी गई सूचना (रजिस्टर में प्रविष्ट बातों से भिन्न) व्यापार में प्रतिद्वन्द्वियों को प्रकट नहीं की जाए।

रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति।

**26.** (1) धारा 30 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण—

(क) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या अभिन्यास डिजाइन के किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के विहित रीति में लिखित आवेदन करने पर रद्द किया जा सकेगा;

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित रीति में निम्नलिखित किसी आधार पर लिखित आवेदन करने पर, रद्द किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(i) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता ने अभिन्यास डिजाइन का धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन करार से भिन्न उपयोग किया है;

(ii) स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयो[illegible] रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के लिए किसी ऐसे तात्त्विक तथ्य का दुर्व्यपदेशन किया है या उसे प्रकट करने में असफल रहा है जिसे यदि सही रूप से व्यपदेशित किया जाता या प्रकट किया जाता तो उससे रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का रजिस्ट्रीकरण न्यायसंगत नहीं होता;

(iii) रजिस्ट्रीकरण की तारीख से परिस्थितियां इस प्रकार बदल गई हैं जो रद्दकरण के लिए ऐसे आवेदन की तारीख को रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण को न्यायसंगत नहीं बनाती हैं:

(iv) उस संविदा के आधार पर, जिसके अनुपालन में आवेदक हितबद्ध है उसमें निहित अधिकार को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए था;

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा विहित रीति में लिखित आवेदन पर इस आधार पर रद्द किया जा सकेगा कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के बीच करार में किसी अनुबंध से संबंधित अभिन्यास डिजाइन की स्थलाकृति संबंधी विमाएं या तो लागू नहीं की जा रही हैं या उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) रजिस्ट्रार द्वारा अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्रीकृत नहीं होने पर रद्द किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन की बाबत रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को (जो आवेदक नहीं है) विहित रीति में सूचना जारी करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए:

परंतु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से पूर्व रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोक्[illegible] की बाबत [illegible] संबंधित जानका[illegible] की रजिस्ट्रार क[illegible]

27. (1) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के जारी रहने के दौरान किसी समय, लिखित सूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक मास के भीतर यह पुष्टि करे कि धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन फाइल किया गया करार प्रवृत्त बना हुआ है।

(2) यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित पुष्टिकरण एक मास के भीतर भेजने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता, उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् के दिन को रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता नहीं रह जाएगा और रजिस्ट्रार उसे अधिसूचित करेगा।

अतिलंघन के[illegible] कार्यवाही क[illegible] रजिस्ट्रीकृत उप[illegible] अधिकार।

28. पक्षकारों के बीच अस्तित्वमान किसी करार के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता, अतिलंघन के लिए अपने नाम से सक्षम दंड न्यायालय के समक्ष परिवाद कर सकेगा मानो वह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हो।

रजि[illegible] सम[illegible] अधि[illegible]

29. इस अधिनियम की कोई बात अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को उसके उपयोग के लिए कोई समनुदेशनीय या पारेषणीय अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण 1—निम्नलिखित मामलों में अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का अधिकार इस धारा के अधीन समनुदेशित या पारेषित नहीं समझा जाएगा, अर्थात्:—

(क) जहां रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता, जो एक व्यक्ति है कारबार चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी करता है किन्तु ऐसी किसी दशा में फर्म उस अभिन्यास डिज़ाइन का उपयोग, यदि वह अन्यथा प्रवृत्त हो, तभी तक कर सकेगी, जब तक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता उस फर्म का सदस्य है;

(ख) जहां रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता जो एक फर्म है, तत्पश्चात् अपने गठन में परिवर्तन करता है किन्तु ऐसी दशा में पुनर्गठित फर्म उस अभिन्यास डिज़ाइन का उपयोग, यदि वह अन्यथा प्रवृत्त हो, तभी तक कर सकेगी, जब तक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के समय मूल फर्म का कोई भागीदार, पुनर्गठित फर्म का भागीदार बना रहता है।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए "फर्म" का वही अर्थ है जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में है।

अध्याय 7

## रजिस्टर का परिशोधन और संशोधन

रजिस्टर का परिशोधन करने की शक्ति।

30. (1) रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के अभाव या लोप से या रजिस्टर में बिना पर्याप्त कारण से की गई किसी प्रविष्टि से या रजिस्टर में गलत तौर से रह रही किसी प्रविष्टि या रजिस्टर की किसी प्रविष्टि में किसी गलती या त्रुटि से व्यथित कोई व्यक्ति अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार को विहित रीति में आवेदन कर सकेगा और अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, प्रविष्टि को करने, निकालने या उसमें फेरफार के लिए, ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन किसी [illegible]

(3) अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से सम्पृक्त पक्षकारों को विहित रीति में [illegible] के पश्चात् और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई [illegible] सकेगा।

(4) अपील बोर्ड के [illegible]

[illegible] परिशोधित करेगा।

रजिस्ट्रार का संशोधन।

31. (1) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा [illegible]

(क) अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत [illegible] अथवा अभिन्यास डिज़ाइन से संबंधित किसी [illegible] कर सकेगा;

(ख) उस व्यक्ति के जो अभिन्यास डिज़ाइन के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है नाम, पते या विवरण में किसी परिवर्तन की प्रविष्टि कर सकेगा;

(ग) रजिस्टर में अभिन्यास डिज़ाइन की प्रविष्टि को रद्द कर सकेगा,

और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में कोई पारिणामिक संशोधन या परिवर्तन कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा विहित रीति में, किए गए आवेदन पर और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को सूचना देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के नाम, पते या विवरण में किसी गलती को सुधार सकेगा या उसमें किसी परिवर्तन की प्रविष्टि कर सकेगा।

## अध्याय 8

## अपील बोर्ड

**32. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक अपील बोर्ड की स्थापना करेगी जिसका नाम** अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड होगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा। अभिन्यास डि[...] बोर्ड की स्थाप[...]

33. (1) अपील बोर्ड एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील बोर्ड की अधिकारिता, शक्तियों [illegible] अपील बो[...]

[illegible]

(क) [illegible]

(ख) [illegible]

(ग) [illegible]

(4) [illegible]

(क) कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका हो; या

(ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा के ग्रेड-1 में या किसी उच्चतर पद पर कम से कम पांच वर्ष तक पद धारण कर चुका हो।

(3) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—

(क) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा के ग्रेड-1 में कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण कर चुका हो; या

(ख) कम से कम दस वर्ष तक कोई सिविल न्यायिक पद धारण कर चुका हो।

(4) कोई व्यक्ति, जिसके पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से भौतिक शास्त्र में मास्टर डिग्री या इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी या कंप्यटर इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री नहीं है और जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पद पर या किसी उच्चतर पद पर कम से कम पांच वर्ष न रहा हो और उसके पास अर्धचालक के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव न हो, तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा।

(5) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(6) अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

35. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष की अवधि तक, या—

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक; और

(ख) किसी सदस्य की दशा में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस हैसियत में अपना पद धारण करेगा।

क्ति होने
नको कोई
पद ग्रहण

कतिपय परिस्थितियों में उपाध्यक्ष या ज्येष्ठतम सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।

36. (1) अध्यक्ष के पद पर उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रि की दशा में, उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक, जिस नया अध्यक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपना करता है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(2) जब अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति, बीमारी के कारण या किसी अन्य का कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में ज्ये उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष अपना कर्तव्य ग्रहण करता है, अध्यक्ष के कृत्यों करेगा।

परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा उससे पहले अपना पदत्याग करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके पदोत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण कर लेने तक या उसकी पदावधि समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करता रहेगा।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अपने पद से, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसी जांच किए जाने के पश्चात्, जिसमें ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण करने के लिए प्रक्रिया, नियमों द्वारा विनियमित कर सकेगी।

अपील बोर्ड के कर्मचारिवृंद।

**39.** (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित करेगी जो अपील बोर्ड को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित हों और अपील बोर्ड के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) अपील बोर्ड के अधिकारियों और

(2) अपील बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर विरोधी पक्षकारों को विहित रीति से सूचना देगा और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे:

परन्तु जहां रद्दकरण का आधार अभिन्यास डिजाइन के केवल एक [illegible] की बाबत स्थापित हुआ है, वहां बोर्ड केवल ऐसे भाग को रद्द करेगा और अभिन्यास डिजाइन का शेष भाग यदि वह अर्धचालक एकीकृत परिपथ के रूप में निष्पादन करने में समर्थ हो तो उसे ऐसे अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के नाम रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत रखा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण का संपूर्णतया या भागतया कोई रद्दकरण उस तारीख को प्रभावी समझा जाएगा जिससे उस अभिन्यास डिजाइन की बाबत धारा 15 में निर्दिष्ट दस वर्ष की अवधि संगणनीय है।

(4) अपील बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन रद्दकरण का कोई आदेश करने के पश्चात् अविलंब ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजेगा जो उक्त आदेश को प्रभाव देने के लिए रजिस्टर का संशोधन करेगा।

अपील बोर्ड को अपील।

42. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन [illegible] रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित है, अपील बोर्ड को ऐसी तारी[illegible] ऐसा आदेश या विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो, अपील करने वा[illegible] संसूचित किया गया है, तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा।

(2) यदि कोई अपील उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समा[illegible] की जाती है तो वह ग्रहण नहीं की जाएगी:

परन्तु कोई अपील उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् [illegible] सकेगी यदि अपीलार्थी अपील बोर्ड का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विनि[illegible] के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(3) अपील बोर्ड को अपील विहित प्ररूप में की जाएगी और वह विहित री[illegible] होगी तथा उसके साथ उस आदेश या विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की जा [illegible] और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, होगी।

अपील बोर्ड की प्रक्रिया

43. (1) अपील बोर्ड, सिविल प्रक्रिया संहिता, [illegible]

**44.** कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी धारा 40 की उपधारा (1) या धारा 42 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में किसी अधिकारिता, शक्तियों या प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा या उसके प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। — न्यायालयों, आदि की अधिकारिता का वर्जन।

**45.** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पद धारण करना समाप्त होने पर, अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात नहीं होंगे। — अपील बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने का वर्जन।

**46.** इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अपील के संबंध में या उससे संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई अन्तरिम आदेश चाहे वह व्यादेश या रोक के रूप में हो या किसी अन्य रीति में तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि— — अन्तरिम आदेश करने की शर्तें।

(क) ऐसी अपील की और ऐसे अन्तरिम आदेश के अभिवाक् के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियां उस पक्षकार को नहीं दे दी जातीं जिसके विरुद्ध ऐसी अपील की गई है या किए जाने के लिए प्रस्थापित है; और

(ख) ऐसे पक्षकार को इस विषय में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता।

**47.** पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् तथा उनमें से किसी को, जिसकी वह सुनवाई करना चाहे, सुने जाने के पश्चात् या ऐसी सूचना के बिना स्वप्रेरणा से अध्यक्ष एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को किसी अन्य न्यायपीठ को निपटारे के लिए अन्तरित कर सकेगा। — मामलों को एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ को अन्तरित करने की अध्यक्ष की शक्ति।

**48.** (1) अपील बोर्ड की धारा 30 के अधीन किया गया रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए। — अपील बोर्ड को परिशोधन आदि के लिए आवेदन की प्रक्रिया।

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन से संबंधित अपील बोर्ड के प्रत्येक आदेश या निर्णय की एक प्रमाणित प्रति बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार को [illegible] संसूचित की जाएगी और रजिस्ट्रार बोर्ड के आदेश को प्रभावी करेगा तथा जब ऐसा निदेश दिया जाए तो, ऐसे आदेश के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियों का संशोधन या परिशोधन करेगा।

**49.** (1) रजिस्ट्रार को निम्नलिखित में उपसंजात होने और सुने जाने का अधिकार होगा—

(क) अपील बोर्ड के समक्ष किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में जिनमें ईप्सित

(2) जब तक कि अपील बोर्ड अन्यथा निदेश न दे रजिस्ट्रार उपसंजात होने के
अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें वह विवाद्यक विष
संबंधित उसके समक्ष कार्यवाहियों की ऐसी विशिष्टियां जो वह उचित समझे, अथवा
प्रभावित करने वाले किसी विनिश्चय के आधारों या वैसे ही मामलों में अर्धचालक एकी
परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री की प्रथा से संबंधित या उक्त विषयों से सुसंगत अन्य वि

और जो रजिस्ट्रार के रूप में उसके ज्ञान में हों, की विशिष्टियां दी जाएंगी और ऐसा कथन कार्यवाही में साक्ष्य होगा।

कतिपय विवादों को रजिस्ट्रार द्वारा बोर्ड को निर्दिष्ट करना।

50. यदि रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या किसी अभिन्यास डिजाइन को, इस अधिनियम के अधीन ऐसे अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ किसी अभिसमय देश में कहीं भी दो वर्ष से अधिक के लिए वाणिज्यिक रूप से समुपयोजित किया गया हो तो रजिस्ट्रार ऐसे प्रश्न को अपील बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

कतिपय उपयोगों की अनुमति देने की बोर्ड की शक्ति।

51. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अपील बोर्ड, सरकार की ओर से या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष विहित रीति में किए गए किसी आवेदन पर और किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को ऐसे आवेदन की सूचना देने के पश्चात् तथा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन का उपयोग, यथास्थिति, सरकार या इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा किंतु यह निम्नलिखित किन्हीं या सभी शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जो बोर्ड ऐसे उपयोग की परिस्थितियों के अधीन उचित समझे, अर्थात्:—

(क) अभिन्यास डिजाइन के उपयोग वाणिज्येतर लोक प्रयोजनों के लिए या राष्ट्रीय आपातस्थिति अति लोक आत्यंतिकता के प्रयोजनों के लिए होगा;

(ख) अभिन्यास डिजाइन के उपयोग की अवधि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक सीमित होगी;

(ग) अभिन्यास डिजाइन के उपयोग असमनुदेशीय और अप्रेषणीय होगा;

(घ) अभिन्यास डिजाइन का उपयोग उस सीमा तक किया जाएगा जो बोर्ड प्रतियोगिता विरोधी प्रथा का उपचार करने के लिए आवश्यक समझे;

(ङ) अभिन्यास डिजाइन का उपयोग प्रधानतया भारत के घरेलू बाजार में अर्धचालक एकीकृत परिपथ या ऐसी वस्तुओं के, जिनमें अर्धचालक एकीकृत परिपथ समाविष्ट है, प्रदाय के लिए होगा:

परंतु बोर्ड इस उपधारा के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन का उपयोग तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि बोर्ड का यह समाधान न हो जाए कि इस प्रकार प्राधिकृत उस व्यक्ति ने ऐसे अभिन्यास डिजाइन के स्वत्वधारी से ऐसे अभिन्यास डिजाइन के अनुज्ञात उपयोग के लिए युक्तियुक्त वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर करार करने के प्रयास किए हैं और ऐसे प्रयास विहित अवधि के भीतर सफल नहीं हुए थे:

परंतु यह और कि पहला परंतुक ऐसे मा[illegible]

[illegible] होगा जहां इस प्रकार प्राधिकृत [illegible] व्यक्ति बोर्ड के समक्ष सरकार द्वारा जारी किया गया इस प्रभाव का [illegible] प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसा उपयोग ऐसी राष्ट्रीय आपातस्थिति या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण अपेक्षित है, जिन्हें सरकार अति आत्यंतिकता या लोक वाणिज्येतर उपयोग का सम[illegible] [illegible] है।

(2) अपील बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के उपयोग के लिए अनुज्ञा देते समय, यथास्थिति, सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अनुज्ञात उपयोग के लिए उक्त अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को संदत्त किए जाने वाले स्वामित्व की रकम का अवधारण करेगा।

(3) अपील बोर्ड, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के आवेदन पर, उस उपधारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञा का पुनरीक्षण कर सकेगा और विहित रीति में संबंधित पक्षकारों को सूचना देने और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि बोर्ड

का समाधान हो जाए कि ऐसी किसी शर्त का जिसके अधीन रहते हुए अनुज्ञा दी गई थी पालन नहीं किया गया या वे परिस्थितियां जिनके कारण ऐसी अनुज्ञा दी गई थी, विद्यमान नहीं रह गई हैं या उनमें सारवान् परिवर्तन हो गया है तो वह उक्त अनुज्ञा को रद्द कर सकेगा या उनमें संशोधन कर सकेगा।

*अपील बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार के खर्च।*

52. इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार के खर्चे बोर्ड के विवेकानुसार होंगे किन्तु रजिस्ट्रार को किसी भी पक्षकार के खर्चे का संदाय करने का आदेश नहीं दिया जाएगा।

*अपील।*

53. (1) इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, विहित अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर उस अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रधान कार्यालय या शाखा कार्यालय स्थित है जिसके विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील उद्‌भूत हुई है।

(2) प्रत्येक ऐसी अपील लिखित याचिका द्वारा की जाएगी और ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को लागू होंगे।

*नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्तियां।*

54. उच्च न्यायालय अपने समक्ष इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के संचालन और प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेंगे।

*संक्रमणकालीन उपबंध।*

55. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, धारा 32 के अधीन अपील बोर्ड की स्थापना होने तक व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 83 के अधीन स[illegible]पित बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग [illegible] इस उपांतरण के अधीन रहते हुए करेगा कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए गठित उक्त बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के किसी न्यायपीठ में, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 84 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तकनीकी सदस्य के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन [illegible] का सदस्य नियुक्त किया जाएगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन न्यायपीठ का गठन करने के लिए तकनीकी सदस्य समझा जाएगा।

## अध्याय 9

## अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया

56. कोई व्यक्ति, जो धारा 18 के किन्हीं उपबंधों का जानते हुए और जानबूझकर उल्[illegible]

[illegible]

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है [illegible] से जिसकी अवधि छह मास तक की या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए त[illegible] दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "रजिस्ट्रीकृत" शब्द के य[illegible] रजिस्[illegible] रूप से या विवक्षित रूप से निर्दिष्ट करने वाली किसी अन्य अभिव्यक्ति के [illegible] संबंध में भारत में उपयोग से रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के प्रति निर्देश समझा[illegible]

(क) जहां वह शब्द या अन्य अभिव्यक्ति ऐसे वर्णों में, जो[illegible] होंगे जिसमें वह शब्द या अन्य अभिव्यक्ति अंकित की गई है, अंकि[illegible]

घन अभिन्यास डिज[illegible]

। वह कारावास लिए शास्ति।

[illegible] का हो सकेगा,

[illegible]करण की अभिव्यक्त
[illegible]भिन्यास डिजाइन के
[illegible]जाएगा, सिवाय—
[illegible]कम से कम उतने बड़े
[illegible] अन्य शब्दों से प्रत्यक्ष

सहयोजन में उपयोग किया गया हो और यह उपदर्शित हो कि वह निर्देश भारत से बाहर किसी देश की विधि के अधीन अभिन्यास डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रति निर्देश है, जो ऐसा देश है जिसकी विधि के अधीन निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण वास्तव में प्रवृत्त है; या

(ख) जहां अन्य अभिव्यक्ति ... ऐसी है जिससे उपदर्शित हो कि यह खंड (क) में वर्णित रजिस्ट्रीकरण के प्रति निर्देश है; या

(ग) जहां वह शब्द भारत से बाहर किसी देश की विधि के अधीन अभिन्यास डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी अभिन्यास डिजाइन के संबंध में और मात्र ऐसे अभिन्यास डिजाइन के संबंध में प्रयोग किया गया है।

कारबार के स्थान को अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री से जुड़े हुए स्थान के रूप में अनुचित रूप से वर्णन करने के लिए शास्ति।

58. यदि कोई व्यक्ति अपने कारबार के स्थान पर या अपने द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज पर या अन्यथा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे युक्तियुक्त रूप से ऐसा विश्वास किया जा सके कि उसका कारबार का स्थान, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री है या उससे शासकीय रूप से संबंधित है तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

रजिस्टर में प्रविष्टियों के मिथ्याकरण के लिए शास्ति।

59. यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या करवाता है या रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि की प्रति तात्पर्यित होने को मिथ्या रूप में लिखता है या साक्ष्य में ऐसे किसी लेख को पेश करता है या निविदत्त करता है अथवा पेश या निविदत्त करवाता है यह जानते हुए कि वह प्रविष्टि या लेख मिथ्या है तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

माल का समपहरण।

60. (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 56 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है वहां उसे सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय उन सभी माल और वस्तुओं के जिनके द्वारा या जिनके संबंध में अपराध किया गया है, समपहरण के लिए सरकार को निदेश दे सकेगा।

(2) जहां दोषसिद्धि पर किसी समपहरण का निदेश दिया जाता है और दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील हो सकती है, वहां समपहरण के विरुद्ध भी अपील होगी।

(3) जहां दोषसिद्धि पर समपहरण का निदेश दिया गया हो, वहां वह न्यायालय जिसके समक्ष वह व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किन्हीं समपहृत वस्तुओं को जैसा न्यायालय उचित समझे, नष्ट किए जाने या अन्यथा व्ययनित किए जाने का आदेश कर सकेगा।

कारबार के सामान्य अनुक्रम में नियोजित कतिपय व्यक्तियों को छूट।

61. जहां धारा 56 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त कोई व्यक्ति यह साबित करता है कि—

(क) उस मामले में जो आरोप का विषय है वह इस प्रकार नियोजित था कि वह उसके नियोजन के कर्तव्य से संबंधित है और वह अपने नियोजन के कर्तव्य के सिवाय अपराध के किए जाने से उद्भूत होने वाले लाभ में हितबद्ध नहीं था; और

(ख) आरोपित अपराध कारित करने के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां बरतने पर, अभिकथित अपराध किए जाने के समय उसके पास रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन या किसी ऐसे अर्धचालक एकीकृत परिपथ की, जिसमें ऐसा अभिन्यास डिजाइन

62. (1) जहां धारा 56 के अधीन आरोपित अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के संबंध में है और अभियुक्त का यह अभिवाक् है कि अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:—

वह प्रक्रिया, जिसमें अभियुक्त द्वारा रजिस्ट्रीकरण की अविधिमान्यता का अभिवाक् किया गया हो।

(क) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रतिवाद प्रथमदृष्ट्या मान्य है तो वह उस आरोप के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा किन्तु वह, अभियुक्त को इस आधार पर कि रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है, रजिस्टर के परिशोधन के लिए इस अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए समर्थ बनाने हेतु कार्यवाही को उस तारीख से, जिसको अभियुक्त का अभिवाक् अभिलिखित किया जाता है, तीन मास के लिए स्थगित करेगा;

(ख) यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष यह साबित कर देता है कि उसने इस प्रकार सीमित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय पर्याप्त कारण के आधार पर अनुज्ञात करे, ऐसा आवेदन कर दिया है तो अभियोजन के संबंध में आगे कार्यवाहियां परिशोधन के लिए किए गए ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक स्थगित हो जाएंगी;

(ग) यदि अभियुक्त, तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए, रजिस्टर के परिशोधन के लिए अपील बोर्ड के समक्ष आवेदन करने में असफल रहता है तो न्यायालय मामले पर इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो कि रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य था।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के परिवाद के संस्थित किए जाने से पूर्व, प्रश्नगत अभिन्यास डिजाइन से संबंधित रजिस्टर के परिशोधन के लिए इस आधार पर कि उसका रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य है, कोई आवेदन पहले ही समुचित रूप से कर दिया गया है और वह अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित है, वहां बोर्ड उपर्युक्त आवेदन का निपटारा होने तक अभियोजन की आगे की कार्यवाहियों को स्थगित करेगा और जहां तक परिवादी अपने अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण का अवलंब लेता है, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का अवधारण, परिशोधन के लिए किए गए आवेदन के परिणाम के अनुरूप करेगा।

63. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो कंपनी और साथ ही प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

कंपनियों द्वार अपराध।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपर के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन क अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐ निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा अ तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

कतिपय अपराधों का संज्ञान।

**64.** कोई न्यायालय —

(क) किसी ऐसे अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा, जिसकी बाबत अपराध किया गया है, लिखित में किए गए परिवाद के सिवाय धारा 56 या धारा 57 के अधीन किसी अपराध का;

(ख) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में किए गए परिवाद के सिवाय धारा 58 या धारा 59 के अधीन किसी अपराध का,

संज्ञान नहीं करेगा।

प्रतिरक्षा या अभियोजन के खर्च।

**65.** न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन में, अभियुक्त द्वारा परिवादी को या परिवादी द्वारा अभियुक्त को ऐसे खर्चे संदत्त किए जाने का आदेश कर सकेगा जो न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों और पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त समझे। इस प्रकार अधिनिर्णीत खर्चे इस प्रकार वसूलनीय होंगे मानो कि वह जुर्माना है।

अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी।

**66.** सरकार के ऐसे अधिकारी को, जिसका यह कर्तव्य है कि वह इस अध्याय के उपबंधों के प्रवर्तन में भाग ले, किसी न्यायालय में यह कथन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से प्राप्त हुई।

भारत से बाहर किए गए दुष्प्रेरण के कार्यों के लिए भारत में दंड।

67. यदि कोई व्यक्ति, भारत में होते हुए, भारत से बाहर किसी ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो यदि भारत में किया जाता तो इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होता, उसका, भारत में ऐसे किसी स्थान पर, जहां वह पाया जा सकता है, ऐसे दुष्प्रेरण के लिए विचार किया जा सकेगा और उसे उसके लिए ऐसे दंड से दंडित किया जा सकेगा जिसके लिए वह भागी होता यदि वह कार्य, जिसका उसने दुष्प्रेरण किया है, उस स्थान पर उसने स्वयं किया होता।

## अध्याय 10

## प्रकीर्ण

भारत की सुरक्षा का संरक्षण।

68. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार,—

(क) इस अधिनियम के अधीन अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रकरण या अभि डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के संबंध में ऐसी कोई सूचना प्रकट नहीं करेगा, केन्द्रीय सरकार भारत की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल समझती है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के रजिस के रद्दकरण सहित ऐसी कार्रवाई करेगा, जो केन्द्रीय सरकार भारत की सुरक्षा के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''भारत की सुरक्षा का हित'' पद से भ सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई ऐसी कार्यवाही अभिप्रेत है जो किसी अभिन्यास डिज अर्धचालक एकीकृत परिपथ जिसमें अभिन्यास डिजाइन सम्मिलित है या ऐसी वस्तु जिस अर्धचालक एकीकृत परिपथ सम्मिलित है और जो,—

(क) विखंडनीय सामग्री या ऐसी सामग्री से संबंधित है जिससे वे व्युत्पन्न हैं; या

(ख) युद्ध के आयुध, गोलाबारूद और उपकरण के दुर्व्यापार से संबंधित ऐसे अन्य माल या सामग्री के ऐसे दुर्व्यापार से संबंधित है जो प्रत्यक्षत: या अ किसी सैनिक स्थापन की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए किया जाता है; या

(ग) अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में युद्ध या अन्य आपातस्थिति में किया जाता है

69. किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

70. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति और अपील बोर्ड का प्रत्येक सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

71. जहां किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन या अर्धचालक एकीकृत परिपथ का, जिसमें कोई रजिस्ट्री अभिन्यास डिजाइन आदि

रूप से उपबंधित समय नहीं है) बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, चाहे इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय समाप्त हो गया है या नहीं, तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, समय बढ़ा सकेगा और तदनुसार पक्षकारों को सूचित कर सकेगा;

(2) उपधारा (1) की कोई बात, रजिस्ट्रार से समय बढ़ाने के लिए किसी आवेदन के निपटारे से पूर्व पक्षकारों को सुनने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी और इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

परित्याग।

77. जहां, रजिस्ट्रार की राय में, इस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन को अग्रसर करने में कोई आवेदक व्यतिक्रम करता है तो रजिस्ट्रार, सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर व्यतिक्रम का उपचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि वांछा करता हो तो उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जब तक सूचना में विनिर्दि[illegible] भीतर व्यतिक्रम का उपचार नहीं कर लिया जाता, आवेदन को परित्यक्त मान सकेगा।

रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह।

78. (1) रजिस्ट्रार, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी अभिन्यास डिजाइन के र[illegible] के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव करता है, [illegible] सलाह दे सकेगा कि क्या अभिन्यास डिजाइन उसे प्रथमदृष्ट्या मौलिक प्रतीत होते[illegible]

(2) यदि किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेद[illegible] में रजिस्ट्रार ने यथापूर्वोक्त सकारात्मक सलाह दी है, सलाह दिए जाने के तीन मास[illegible] जाता है, रजिस्ट्रार और अन्वेषण या विचार करने के पश्चात् आवेदक को, इस[illegible] अभिन्यास डिजाइन मौलिक नहीं है, आक्षेप की सूचना देता है तो आवेदक विहि[illegible] आवेदन वापस लेने की सूचना देने पर, आवेदन फाइल करने के संबंध में सं[illegible] प्रतिसंदत्त किए जाने का हकदार होगा।

कतिपय कार्यवाहियों में रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का पक्षकार बनाया जाना।

79. (1) अध्याय 7 या धारा 42 के अधीन [illegible] ऐसा प्रत्येक उपयोक्ता जो उस अध्याय या उस धारा के अधीन किसी कार्यवाही[illegible] आवेदक नहीं है, कार्यवाही का पक्षकार बनाया जाएगा।

(2) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कार्यवाही में [illegible] बनाया गया कोई रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता [illegible] नहीं होता और कार्यवाही में भाग नहीं लेता।

रजिस्टर आदि में प्रविष्टियों और रजिस्ट्रार द्वारा किए गए कार्यों का साक्ष्य।

80. (1) रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि की या धारा 87 की उपधारा ([illegible] ऐसे दस्तावेज की कोई प्रति, जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित होने और अर्धचा[illegible] अभिन्यास रजिस्ट्री की मोहर से सीलबंद होने के लिए तात्पर्यित है, सभी न्य[illegible] कार्यवाहियों में बिना और सबूत के या मूल दस्तावेज की प्रस्तुति के ग्रहण [illegible]

(2) किसी ऐसी प्रविष्टि, मामले या कार्यों के, जिसे करने के लिए रजि[illegible] या नियम के द्वारा प्राधिकृत है, संबंध में कोई प्रमाणपत्र, जि[illegible] राजस्ट्रा[illegible]

डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के पक्ष में विनिश्चय किया जाता है तो अपील बोर्ड उस बात का प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा और यदि ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जाता है तो किसी ऐसी पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों में, जिनमें उक्त विधिमान्यता प्रश्नगत होती है, उक्त स्वत्वधारी अपने पक्ष में अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता अभिपुष्ट करने वाले अंतिम आदेश या निर्णय द्वारा पर्याप्त कारणों से अन्यथा निदेशित नहीं किए जाने तक अपने पूरे खर्च, विधि व्यवसायी और मुवक्किल के बीच के खर्चों का हकदार होगा।

तामील के लिए पता।

83. किसी आवेदन या विरोध की सूचना में दिया गया कोई पता, आवेदन या विरोध की सूचना के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, आवेदक या विरोधी का पता समझा जाएगा और आवेदन या विरोध की सूचना के संबंध में सभी दस्तावेज, यथास्थिति, आवेदक या विरोधी के तामील के पते पर छोड़कर या डाक द्वारा भेजकर तामील किए जाएंगे।

अभि

84. जहां इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा, शपथपत्र देने से भिन्न, किसी व्यक्ति [illegible] सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा, जो—

(क) एक विधिक व्यवसायी है; या

(ख) अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में विहित रीति से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है; या

(ग) प्रधान के एकल और नियमित नियोजन वाला व्यक्ति है।

85. यदि किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन का स्वत्वधारी का कोई अभिकर्ता या कोई प्रतिनिधि बिना प्राधिकार के अभिन्यास डिजाइन का [illegible] धारा का रजिस्ट्रीकरण आवेदन का विरोध क या ऐसे उसका रद्दकरण या रजिस्टर के परिशोधन को सुनिश्चित कराने का हकदार होगा जिस वह उक्त अभिन्यास डिजाइन को रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के रूप में अपने पक्ष में समनुदेशन ला सके:

परंतु ऐसी कार्रवाई किसी अभिकर्ता या प्रतिनिधि के [illegible] रण की बाबत ज अवगत होने पर उक्त अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी तीन वर्ष के भीत

अनुक्रमणिकाएं।

86. रजिस्ट्रार के निदेश और पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित रखा जाएगा—

(क) रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइनों की एक अनुक्रमणिका;

(ख) ऐसे अभिन्यास डिजाइनों की अनुक्रमणिका जिनकी बाबत रजिस् लिए आवेदन लंबित हैं;

(ग) रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइनों के स्वत्वधारी के नामों का एक अ और

(घ) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं के नामों की एक अनुक्रमणिका।

दस्तावेजों का लोक निरीक्षण के लिए खुला रहना।

87. (1) धारा 25 की उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय —

(क) रजिस्टर और ऐसा कोई दस्तावेज, जिस पर रजिस्टर में कोई प्रवि है;

(ख) किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सू रजिस्ट्रार के समक्ष परिशोधन के लिए आवेदन, उस [illegible] किन्हीं कार्यवाहियों में पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए शपथप

(ग) धारा 86 में उल्लिखित अनुक्रमणिकाएं और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री में लोक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(2) कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार को आवेदन करके और ऐसी फीस का संदाय करने पर जो विहित की जाए, रजिस्टर की किसी प्रविष्टि या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा।

रजिस्ट्रार की रिपोर्टों को संसद् के समक्ष रखा जाना।

88. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादन की बाबत दी गई रिपोर्ट को वर्ष में एक बार संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

फीस और अधिभार।

89. (1) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों और रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य बातों की बाबत ऐसी फीस और अधिभार का संदाय किया [illegible] केंद्रीय [illegible] विहित करे।

(2) जहां रजिस्ट्रार द्वारा किसी कार्रवाई की बाबत कोई फीस संदेय है, वहां [illegible] तक वह कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि फीस का संदाय नहीं कर दिया जाता है।

(3) जहां किसी दस्तावेज को अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजा[illegible] फाइल किए जाने [illegible] वहां ऐसा दस्तावेज तब तक [illegible] किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि फीस का संदाय नहीं कर दिया जा[illegible]

अध्याय 9 की बाबत व्यावृति।

90. अध्याय 9 में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि[illegible] किसी मालिक का कोई सेवक, जो ऐसे मालिक के अनुदेशों पर उसकी आज्ञानु[illegible] कार्य करता है और [illegible] के संबंध में तथा ऐसे अनुदेशों की बाबत जो उसने अपने मालिक से प्राप्त [illegible] दी है, किसी अभियोजन या दंड के दायित्वाधीन है।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन अभिन्यास डिजाइन के स्वामित्व के अरजिस्ट्रीकरणीय होने की बाबत घोषणा।

91. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी [illegible] करने वाले या घोषित करना तात्पर्यित करने वाले किसी दस्तावेज को [illegible] रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

सरकार का आबद्ध होना।

92. इस अधिनियम के उपबंध सरकार पर [illegible]

जिस्ट्रार तब

इन रजिस्ट्री में
जस्ट्री में फाइल
ता है।

भारत में निवासी
ार सद्भावपूर्वक
जान पेर अपने मालिक
किए हैं, पूरी जानकारी

रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास
मत्व अथवा हक को घोषित
उस अधिनियम के अधीन

आबद्धकर होंगे।

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के स्वत्वधारी के समनुदेशिती के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का; या

(ग) धारा 25 के अधीन किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का आवेदन करने का,

हकदार नहीं होगा।

95. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों: कठिनाई दूर करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

96. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइनों से संबंधित अन्य विषय;

(ख) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करने की रीति;

(ग) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के विज्ञापन करने की रीति;

(घ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन में शुद्धि या संशोधन ... अधिसूचित करने की रीति;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने, फीस संदत्त किए जाने की रीति और सूचना देने की रीति;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकथन भेजने की रीति;

(छ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने की रीति;

(ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप;

(झ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन सूचना देने की रीति;

(ञ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन हक रजिस्टर करने के लिए आवेदन करने की रीति;

(ट) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने की रीति;

(ठ) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन विहित किया जाने वाला दस्तावेज;

(त) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आवेदन करने की रीति;

(थ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी करने की रीति;

(द) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रक्रिया;

(ध) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन अपील बोर्ड को आवेदन करने की रीति;

(न) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन सूचना देने की रीति;

(प) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन सूचना तामील करने की रीति;

(फ़) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति;

(ब) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने की रीति;

(भ) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(म) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के कदाचार या अक्षमता का अन्वेषण करने की प्रक्रिया;

(य) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन अपील बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(यक) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष द्वारा साधारण अधीक्षण की रीति;

(यख) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप, शपथपत्र, दस्तावेज़ और अन्य साक्ष्य तथा ऐसे आवेदन को फाइल करने की बाबत संदेय फीस और सेवाओं या आदेशिका के निष्पादन के लिए उसके साथ दी जाने वाली अन्य फीसें;

(यग) धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन विरोध फाइल करने की समय सीमा;

(यघ) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और उसके साथ दी जाने वाली फीस;

(यङ) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन सूचना देने की रीति;

(यच) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन अपील का प्ररूप, सत्यापन की रीति और उसके साथ दी जाने वाली फीस;

(यछ) धारा 43 की उपधारा

(यण) धारा 73 के अधीन विहित किया जाने वाला समय;

(यत) धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति; और उसके साथ दी जाने वाली फीस;

(यथ) धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति;

(यद) धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन वापस लेने की सूचना देने की अवधि;

(यध) धारा 84 के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकार देने की रीति;

(यन) धारा 84 के खंड (ख) के अधीन अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्टर करने की रीति;

(यप) धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन विहित की जाने वाली शर्तें;

(यफ) धारा 87 की उपधारा (2) के अधीन संदेय फीस;

(यब) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन संदत्त की जाने वाली फीसें और अधिभार;

(यभ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।